रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11012025-260164
SG-DL-E-11012025-260164

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2025/पौष 19, 1946 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 332

No. 18] DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2025/PAUSHA 19, 1946 [N. C. T. D. No. 332

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय–I) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

सं. 06/2024–राज्य कर

सं.फा. 3 (23)/वित्त(व्यय–I)/2024–25/डीएस–I/36—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017 का 03) की धारा 158ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा ''पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट'' को उस प्रणाली के रूप में अधिसूचित करते हैं जिसके साथ दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 158ए की उप–धारा (2) के अधीन सहमति पर आधारित सामान्य पोर्टल पर सूचना को साझा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, ''पब्लिक टेक प्लेटफार्म फार फ्रिक्शनलैस क्रैडिट'' से उद्यम–श्रेणी का एक ओपन आर्किटेक्चर सूचना प्रौद्योगिकी मंच अभिप्रेत है, जिसकी अवधारणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 अगस्त, 2023 को

''विकासकारी और विनियामक नीतियों पर कथन'' पर उसके भाग के रूप में की गई है तथा इसका विकास पूर्ण स्वामित्वाधीन अनुषंगी, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब द्वारा प्रत्यय के वृहत वातावरण में उसके प्रचालनों के लिए किया गया है, जिससे विभिन्न डेटा स्रोतों से डिजिटल रूप में सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके और जहां वित्तीय सेवा प्रदाता और बहुल डेटा सेवा प्रदाता मानक और प्रोटोकॉल चलित आर्किटेक्चर, ओपन साझा अनुप्रयोग कार्यक्रम इंटरफेस (एपीआई) फ्रेमवर्क का उपयोग करते किसी मंच पर मिलते है, से सूचना तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रविन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th January, 2025

No. 06/2024-State Tax

No. F. 3 (23)/Fin.(Exp-I)/2024-25/DS-I/36—In exercise of the powers conferred by section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby notifies "Public Tech Platform for Frictionless Credit" as the system with which information may be shared by the common portal based on consent under sub-section (2) of Section 158A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017).

Explanation.—For the purpose of this notification, "Public Tech Platform for Frictionless Credit" means an enterprise-grade open architecture information technology platform, conceptualised by the Reserve Bank of India as part of its "Statement on Developmental and Regulatory Policies" dated the 10th August, 2023 and developed by its wholly owned subsidiary, Reserve Bank Innovation Hub, for the operations of a large ecosystem of credit, to ensure access of information from various data sources digitally and where the financial service providers and multiple data service providers converge on the platform using standard and protocol driven architecture, open and shared Application Programming Interface (API) framework.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

RAVINDER KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA